I/519085/2024

जारी/प्रेषित 13/3/2024

जारी 13-03-2024

संख्या–04/2024/185/39-04-2024-10(07)/2023

प्रेषक,

आत्म प्रकाश पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान,
लखनऊ।

सतर्कता अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 13 मार्च 2024

विषय – वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु पुनर्विनियोग द्वारा अनुदान की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ के पत्र संख्या-स0अ0/अनु0-4/बी-260/2022, दिनांक 09.02.2024 के सन्दर्भ में वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-82 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-104-सतर्कता के मानक मद-55-मकान किराया भत्ता, 15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद, 13-टेलीफोन पर व्यय, 06-अन्य भत्तें, 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय एवं 04-यात्रा व्यय के मानक मदों में हो रही बचतों की कुल धनराशि रू0 71.15 लाख (रूपये इकहत्तर लाख पन्द्रह हजार मात्र) को लेखाशीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-104-सतर्कता के मानक मद-49- चिकित्सा व्यय मद में कम पड़ रही धनराशि के व्यय हेतु संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्रानुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

नियम एवं शर्तें

(1) यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि पुनर्विनियोग से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 व 154 में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होगा।

(2) केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के विषय में स्वीकृति किये जाने के विषय में समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए औचित्य का परीक्षण किया जायेगा तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान का होगा।

(3) जिस मद में धनराशि पुनर्विनियोजित की जा रही है, में इस वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(4) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-2027/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2024 तक सुनिश्चित कर लिया जाए।

2- यह आदेश वित्त विभाग के आर0ई0संख्या-बजट-1-581 दिनांक 09 मार्च, 2024 में प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally Signed by आत्म प्रकाश पाण्डेय
Date: 13-03-2024 18:40:01
Reason: Approved

(आत्म प्रकाश पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(5) वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) आदेश पुस्तिका।

संलग्नक:-यथोक्त

आप्रकाश

(आत्म प्रकाश पाण्डेय)
अनु सचिव।